राष्ट्रीय लोक अदालत–2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 12/2021

मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल जाति मीना निवासी ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल

.......वादनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)
वकील वादनी : श्री मनोज कुमार आर्य
दायरा दिनांकः 15.01.2021 निर्णय दिनांक : 12.11.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी के खाते की आराजी खाता संख्या 87 खसरा नं0 513 रकबा 1.75 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादनी का नाम राम मुर्ती पत्नी केदारलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादनी का वास्तविक नाम मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल है। जिसको वादनी राममूर्ति पत्नी केदारलाल के स्थान पर मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल दुरूस्त करवाने की कानूनी अधिकारी है। वादनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में राममूर्ति पत्नी केदारलाल के स्थान पर मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादनी का नाम राममूर्ति पत्नी केदारलाल के स्थान पर मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.11.2021 के अनुसार राममूर्ति पत्नी केदारलाल व मूर्तिबाई पत्नी केदारलाल दोनो नाम एक ही महिला के नाम है अन्य अलग–अलग नही है। उक्त महिला को दोनो नामों से जाना–पहचाना व बोला जाता है। अतः राजस्व रेकार्ड में वादनी का सही नाम मूर्तिबाई उर्फ राममूर्ति पत्नी केदारलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाह वादनी स्वयं एवं अनिल पुत्र केदारलाल जाति मीना निवासी ग्राम कनाडा के आधार पर आराजी खाता संख्या 87 खसरा नं0 513 रकबा 1.75 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.75 है0 वाके ग्राम कनाडा तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादनी का नाम राममूर्ति पत्नी केदारलाल के स्थान पर मूर्तिबाई उर्फ राममूर्ति पत्नी केदारलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादनी स्वयं जिम्मेवार होंगी। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को खुले न्यायालय में मजमेआम सुनाया गया।

Scanned by CamScanner